संख्या- 347/18-4-2020-4(विविध)/20

प्रेषक,

अमित कुमार सिंह
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
(ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ), उ0प्र0
लखनऊ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 05 मई,2020

विषय- एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत दक्षता/कौशल विकास/उद्यमिता विकास **प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण** योजना प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में |

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-02/ओ0डी0ओ0पी0 प्रशिक्षण एवं टूल किट/ ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ/20219-20, दिनांक 3-4-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद विशेष हेतु चिन्हित उत्पाद से सम्बन्धित सामान्य तकनीकी प्रशिक्षण, क्राफ्ट की बेसिक एवं एडवांस्ड ट्रेनिंग एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रदान कराने हेतु शासनादेश संख्या-2/2028/123/18-4-2018-18(विविध)/2017टी0सी0, दिनांक 25 जनवरी, 2018 के बिंदु संख्या- 5 में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दक्षता/ कौशल विकास प्रशिक्षण एवं सामान्य उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रदान करना एवं निशुल्क उन्नत टूलकिट वितरण हेतु "एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत दक्षता/कौशल विकास/उद्यमिता विकास प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना" निम्नानुसार प्रारम्भ किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1-प्रशिक्षार्थी की पात्रता -

(1)- आवेदन करने की तिथि को प्रशिक्षार्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए |
(2)- प्रशिक्षार्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए |
(3)- शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं होगी |
(4)- आवेदक द्वारा भारत अथवा प्रदेश सरकार की अन्य किसी योजनान्तर्गत उत्पाद से सम्बंधित टूलकिट का लाभ विगत 02 वर्षों में प्राप्त नहीं किया हो |
(5)- आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा | परिवार का आशय पति एवं पत्नी से है |
(6)- आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाएगा |

2- चयन की प्रक्रिया-

(1)- आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सम्बंधित जनपद के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहान केंद्र के कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना होगा। आवेदन के साथ समस्त आवश्यक प्रपत्र संलग्न किये जायेंगें।

(2)- प्रशिक्षणार्थियों का चयन निम्नानुसार गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा :

(अ)- उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र (अध्यक्ष)

(ब)-ODOP उत्पाद से जुड़े विभाग का जनपद स्तर का अधिकारी अथवा उक्त अधिकारी के जनपद में उपलब्ध न होने की स्थिति में ज़िला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी (सदस्य)

(स)- जनपद समन्वयक, कौशल विकास मिशन (सदस्य)

(द)- प्रधानाचार्य, आई० टी० आई० (सदस्य)

(य)- उपायुक्त उद्योग द्वारा नामित ओ० डी० ओ० पी० उत्पाद से सम्बंधित जनपद के 2 विशिष्ठ उद्यमी।

3-प्रशिक्षण संबंधी निर्देश :-

(1)- उत्तरप्रदेश कौशल विकास मिशन, उत्तरप्रदेश डिजाइन संस्थान (UPID), उद्यमिता विकास संस्थान, आई०टी०आई०, पॉलिटेक्निक एवं भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त ऐसी संस्थायें जो इस प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करती हों, प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु पात्र होंगी।

(2)-योजनान्तर्गत चयनित व्यक्तियों को कुल 10 दिनों का कौशल एवं उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

(3)-जिन ODOP उत्पादों की विधाओं हेतु उत्पाद से सम्बंधित Sector Skill Council द्वारा QP(Qualification Packs) विकसित किये जा चुके हैं, उन उत्पादों हेतु 05 दिनों का ब्रिज कोर्स करवाते हुए कौशल प्रशिक्षण एवं 05 दिनों का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त हस्तशिल्पियों/कारीगरों/उद्यमियों को प्रशिक्षणदायी संस्था द्वारा RPL (Recognition of Prior Learning) के अंतर्गत assessment करवाते हुए Sector Skill Council से प्रमाणीकरण करवाया जाएगा।

(4)-जिन उत्पादों हेतु QP(Qualification Packs) अभी विकसित नहीं हैं, उन जनपदों में हस्तशिल्पियों/कारीगरों/उद्यमियों को 05 दिवस का सामान्य कौशल विकास प्रशिक्षण एवं 05 दिनों का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। भविष्य के लिए इन जनपदों के उत्पादों हेतु QP(Qualification Packs) विकसित किये जाने का प्रयास सम्बंधित Sector Skill Council के माध्यम से किया जाएगा।

(5)-प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु संस्थाओं का चयन आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा किया जाएगा।

(6)-प्रति बैच अधिकतम 25 प्रशिक्षार्थी होंगे।

(7)-प्रशिक्षण कार्यक्रम निशुल्क एवं अनावासीय होगा।

(8)-प्रशिक्षार्थी को प्रतिदिन रु० 200/- मानदेय के रूप में दिया जाएगा। उक्त मानदेय की धनराशि उपायुक्त उद्योग को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके द्वारा संतोषजनक प्रशिक्षण

समाप्ति पर मानदेय अपने स्तर से DBT के माध्यम से प्रशिक्षार्थी के खाते में हस्तांतरित किया जाएगा |

4- प्रशिक्षणदायी संस्था को भुगतानन-

(1)- प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था को प्रशिक्षण शुल्क के रूप में प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति दिन रु० 400 /- की सीमा तक वास्तविक व्यय का भुगतान किया जाएगा जिसमें प्रशिक्षक, प्रशिक्षण स्थल एवं प्रमाण-पत्र आदि का व्यय सम्मिलित होगा | प्रशिक्षार्थी के खान-पान पर प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति दिन रु० 250/- की सीमा तक का वास्तविक व्यय किया जाएगा | उक्त के अतिरिक्त प्रमाणीकरण पर आने वाले व्यय का भुगतान आयुक्त एवं निदेशक उद्योग (ओ0डी0ओ0पी प्रकोष्ठ) उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रशिक्षणदायी संस्था को किया जाएगा | प्रशिक्षणदायी संस्था द्वारा प्रमाणीकरण होने के पश्चात उक्त धनराशि प्रमाणीकरण संस्था को स्थानांतरित की जायेगी |

(2)- प्रशिक्षणदायी संस्था को कुल देय धनराशि का 50% भुगतान प्रशिक्षण प्रारम्भ होने पर एवं अवशेष 50% भुगतान प्रशिक्षण की संतोषजनक समाप्ति पर किया जाएगा | सम्बंधित जनपद के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र द्वारा प्रशिक्षण के संतोषजनक संपादित होने की स्थिति को प्रमाणीकृत किया जाएगा एवं उक्त के सम्बन्ध में आयुक्त एवं निदेशक उद्योग (ODOP प्रकोष्ठ) उ0प्र0 लखनऊ को सूचित किया जाएगा तथा संस्थाओं को भुगतान किया जाएगा |

5-टूलकिट वितरण-

(1)- प्रशिक्षण प्राप्त हस्तशिल्पियों/कारीगरों को विभाग द्वारा निशुल्क उन्नत टूलकिट उपलब्ध कराई जायेगी |

(2)- टूलकिट के टूल्स एवं मूल्य का अधिकतम अंतिम निर्धारण उपायुक्त उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग (ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा | टूलकिट का निर्धारण जनपदवार/ उत्पादवार किया जाएगा।

(3)- प्रति टूलकिट का मूल्य अधिकतम रु० 20,000/- होगा | टूलकिट का क्रय सम्बंधित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र द्वारा किया जाएगा |

(4)- टूलकिट का क्रय GeM (Governmente-Marketplace) के माध्यम से किया जाएगा | टूलकिट GeM पर उपलब्ध न होने की स्थिति में संगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत क्रय प्रक्रिया संपादित की जायेगी |

(5)- धनाभाव के कारण चालू वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षित व्यक्ति को टूल किट न मिलने की स्थिति में आगामी वित्तीय वर्ष में ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति को प्राथमिकता के आधार पर टूल किट प्रदान किया जाएगा |

6-विविध-

(1)- बजट की उपलब्धता के आधार पर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग (ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ) द्वारा जनपदवार लक्ष्यों का निर्धारण किया जाएगा | आवश्यकता पड़ने पर अंतर्जनपदीय लक्ष्यों का पुनर्निर्धारण भी किया जा सकेगा |

(2)- प्रत्येक जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र द्वारा इस हेतु सार्वजनिक प्रेस विज्ञप्ति निकाली जायेगी एवं प्रचार-प्रसार किया जाएगा |

(3)- प्रत्येक प्रशिक्षण एवं टूल किट वितरण कार्यक्रम का समस्त विवरण यथा - फोटोग्राफ, प्रतिभागियों की संख्या, उपस्थिति की स्थिति आदि रिकॉर्ड के रूप में सम्बंधित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में संरक्षित किया जाएगा |

(4)- प्रशिक्षणदायी संस्था को उपस्थिति पंजिका एवं 6(3) में अंकित सभी अभिलेख रक्षित करने होंगे एवं प्रशिक्षण समाप्ति पर जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र को उपलब्ध करानी होगी |

(5)- योजना का नोडल विभाग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश होगा एवं क्रियान्वयन उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय (ओ.डी.ओ.पी. प्रकोष्ठ) उत्तर प्रदेश के अधीन कार्यरत जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों के माध्यम से किया जाएगा |

(6)- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग (ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ) द्वारा योजना को आवेदन पत्र प्राप्ति से क्रियान्वयन के अंतिम स्तर तक end-to-end ऑन-लाइन रूप से क्रियान्वित करवाया जायेगा। ई-पोर्टल तैयार होने के पश्चात् योजना के ऑन-लाइन क्रियान्वयन हेतु आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये जा सकेंगे। जब तक ऑन-लाइन व्यवस्था प्रारम्भ नहीं होती तब तक योजना को ऑफ-लाइन रूप में क्रियान्वित किया जा सकता है।

7- कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(अमित कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- /(1)/18-4-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास / प्राविधिक शिक्षा /संस्थागत वित्त एवं निबंधन विभाग 30प्र0 शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त 30प्र0।
3- समस्त जिलाधिकारी, 30प्र0।
4- निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, 30प्र0 लखनऊ।
5- समस्त उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र 30प्र0।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुभाष बाबू)
अनुसचिव।

ओ.डी.ओ.पी प्रशिक्षण और टूल-किट वितरण योजना

उद्देश्य

कौशल विकास और टूल-किट वितरण योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में ओ.डी.ओ.पीउत्पादों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में कुशल कार्यबल की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसके अतिरिक्त, योजना के अन्तरगत कारीगरों / श्रमिकों को प्रासंगिक उन्नत टूल-किट का वितरण किया जायेगा।

पात्रताकीशर्तें:

- आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए
- शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है
- पिछले 2 वर्षों में आवेदक ने केंद्र सरकार या राज्य सरकार से टूलकिट के संबंध में कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है
- योजना के अनुसार, आवेदक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य केवल एक बार ही योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। परिवार का अर्थ पत्ति एवं पत्नी से है।
- योजना के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है

प्रोत्साहन

- जो कारीगर पहले से ही कुशल हैं, उन्हें RPL (Recognition of Prior Learning) के माध्यम से आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें संबंधित क्षेत्र कौशल परिषदों (S.S.Cs) के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा।
- अकुशल कारीगरों को 10दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांतइन कारीगरों को आर.पी.एल के तहत प्रमाणित किया जाएगा।
- सभी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान रू 200/- प्रति दिन का मानदेय मिलेगा।

सभी कारीगरों को प्रशिक्षण के समय, एक उन्नत टूल-किटविभाग द्वारा निशुल्क प्रदान किया जाएगा।